

पहली नियुक्ति 31 दिसम्बर, 20 को स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT/AS ON THE 31ST DEC. 2010

आधिकारी का नाम (पूरा)/Name of the officer (in full) DA. MS. MOHASSIN RAHEEM  
 2. वर्तमान पद/Present post held Inspector 3. वर्तमान वेतन/Present Pay 20500/600 4. तैनाती/क्षेत्र का स्थान/Place of Posting/Region Ranchi

उस जिले उप खंड ताल्लुक तथा गांव का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है Name of District/Sub-Division/Taluk and Village in which property is situated	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा Name and details of property		वर्तमान मूल्य Present Value	यदि अपने नाम में नहीं हो तो बताएं कि किसके नाम में है तथा कम्पनी से उसका संबंध If not in own name state in whose name held & his/her relationship to the employee	अर्जन की तारीख तथा उन व्यक्तियों के नाम जिनसे सम्पत्ति प्राप्त हुई के साथ-साथ यह भी बताएं कि किस प्रकार अर्जित की गई यानि क्रय द्वारा पट्टे पर बंधक रूप में दान के रूप में प्राप्त उपहार के रूप में या अन्य किसी रूप में प्राप्त हुई How acquired whether by purchase, lease, mortgage, in-heritance, gift otherwise, with date of acquisition and name with details of person from whom acquired	सम्पत्ति की लागत को पूरा करने के लिए प्रलेखीय साक्ष्य सहित वित्तीय स्रोतों के व्यांज Sources of finance for meeting the cost of the property with document anyproof	सम्पत्ति से होने वाली वार्षिक आय Annual income from the property	अभ्युक्तियाँ REMARKS
	आवासीय तथा अन्य भवन Housing & other building	भूमि Lands						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

NOE any property held

हस्ताक्षर/Signature [Signature]  
 तारीख/Dated 5/2/10

टिप्पणी :- कन्द्रीय निवृत्ति सेवा (आवण) नियमों के नियम 18(1) के अन्तर्गत सेवा में पहली नियुक्ति के समय तथा इसके बाद प्रति बारह मास बाद प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की सेवा के प्रत्येक सदस्य द्वारा और स्वयंसेवक बोनस निरीक्षक अति द्वारा यह धारणा-पत्र भरा जाना और प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिसमें ऐसी सभी अचल सम्पत्ति का पूरा विवरण दिया जाएगा जिसके वे मालिक हों या उसका उन्होंने अर्जन किया हो या जिसको उन्होंने दान के रूप में प्राप्त किया हो या अपने नाम में या जो उनके अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में पट्टे पर या बंधक के रूप में धारित की जा रही हो।

जिन मामलों में सम्पत्ति का सही मूल्य निर्धारण करना सम्भव नहीं है, वहाँ वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में निकटतम मूल्य निर्दिष्ट कर दिया जावे।

\*यहाँ आत्मकालिक पट्टे भी शामिल हैं।

NOTE - The declaration form is required to be filled in and submitted by every member of Class I, Class II service and Manager/Insurance Inspector etc. under rule 18(i) of the Central Civil services (Conduct) Rule 1964 on first appointment of the Service and thereafter at an interval of every twelve months giving particulars of all immovable properties inherited by him or owned/or acquired by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person

\*In cases where it is not possible to assess the value accurately, the approximate value in relation to present condition may be indicated.

Includes short term lease also.